



कार्यालय:-अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी (सामान्य), लातेहार

संयुक्त जिला कृषि भवन, प्रथम तल, कीनामाड़, लातेहार-829206

Email :- latehardao@rediffmail.com

अल्पकालिन निविदा सूचना

सरकार के सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 3/कृषि, रा० यो० 08/2021 राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य "उद्यान विकास की योजना" अन्तर्गत नेतरहाट स्थित सेक्टर III एवं IV के नाशपाती बगान में Gap Filling of dead Plant (Replacement of dead & dried plant) हेतु नाशपाती/नख के गुणवत्तापूर्ण पौधों की आपूर्ति, पौधरोपन, सिंचाई एवं संरक्षण का कार्य किया जाना है। कार्यों की विवरणी इस प्रकार है:-


क्र०	विवरणी	राशि
1.	नाशपाती पौधा -600	
2.	नख पौधा -400	
3.	गढढे की संख्या -1000	
4.	गढढे का आकार -0.75 मी० x 0.75 मी० x 0.75 मी०	
4.	गढढा भरते समय खाद की मात्रा (प्रति गढढा)	
	केचुआ/गोबर खाद -7 kg	अनुमानित राशि
	SSP -750 gm	1000000/-
	MOP -400 gm	(दस लाख) रु०
	नीम/करंज की खली -2 kg	
	Methyl Parathion -50 gm	
5.	पौधों से बॉस की बाड़ -1000 बाड़ (5 Fit in height)	
6.	खाद की मात्रा (प्रति पौधा 2nd वर्ष)	
	गोबर खाद -5-6 kg	
	नेत्रजन -70 gm	
	स्फूर -30 gm	
	पोटास -60 gm	

खाद को समानुपात में 3 वर्षों तक बढ़ाते जाना है। यानि दुसरे वर्ष में पहले का दुगना, तीसरे वर्ष में पहले का तिगुना।

निविदा डालने हेतु शर्त:-

1. नाशपाती की पौधा नेतरहाट लोकल और नख प्रजाति का होना चाहिए।
2. पौधा की लम्बाई 1-2 फीट का होना चाहिए।
3. पौधे की उम्र कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए और 3-4 स्वस्थ Flush निकला होना चाहिए।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं होनी चाहिए।
5. निविदा दिनांक 20.09.2023 को अपराहन 01:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथो-हाथ जिला जिला कृषि कार्यालय, लातेहार को समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा एवं निविदा दिनांक 20.09.2023 को अपराहन 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समिति की उपस्थिति में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि (प्राधिकृत पत्र के साथ) के समक्ष खोली जाएगी।

6. तकनीकी बीड के साथ निविदादाता को अग्रधन के रूप में 50000/—(पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी (सामान्य), लातेहार के नाम जमा करना होगा।
7. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड (शुद्ध दर) दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में देना अनिवार्य होगा/लिफाफे के उपर तकनीकी बीड, वित्तीय बीड, आपूर्तिकर्ता का नाम व पुरा पता अंकित करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को निविदा के साथ उद्यान बोर्ड (NHB) भारत सरकार से निबंधित/आधिकृत आपूर्तिकर्ता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करेगे। साथ ही निम्नवत प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
 - i) नर्सरी का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - ii) पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (2020-21, 2021-22, 2022-23) की छायाप्रति।
 - iii) GST No. झारखण्ड का हो तथा GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - iv) PAN Card की छायाप्रति।
 - v) निविदादाता का फर्म काली सूची में दर्ज (Black Listed) नहीं है का शपथ-पत्र (Notary Affidavit) मूलप्रति में।
9. निविदादाता को निविदा में सभी दर आदि सम्मिलित करते हुए शुद्ध दर (Net price) उद्धत करना अनिवार्य होगा।
10. समिति द्वारा तकनीकी बीड मान्य होने के पश्चात ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
11. निविदा दर में सभी प्रकार का परिवहन शुल्क आदि सम्मिलित होगा। अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।
12. निविदादाता को निविदा खोलने के दिन नाशपाती और नख के पौधा का नमूना लाना अनिवार्य होगा।
13. आपूर्तिकर्ता को अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी (सामान्य), लातेहार द्वारा कार्य का आदेश मिलने पर 10 दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य को 90 दिनों के अन्दर पुरा करना अनिवार्य होगा। अगर सफल निविदादाता द्वारा कार्य में विलम्ब या कार्य करने से मना किया जाता है तो जमा अग्रधन की राशि जब्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जाएगा।
14. पौधो का देख-भाल एवं सिचाई प्रबंधन क्रमशः 03 वर्षों तक करना होगा।
15. किसी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार/रद्द करने अथवा कार्य आदेश निविदादाता के बीच विभाजीत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
16. सभी प्रकार का भुगतान अधोहस्ताक्षरी के संतुष्टी के पश्चात ही देय होगा।
17. क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर अंतिम रूप से मान्य होगा।
18. निविदा की शर्त लातेहार जिले के आत्मा, लातेहार की वेबसाईट www.atmalatehar.in पर देखा जा सकती है अथवा अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार से प्राप्त की जा सकती है।


 अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी
 (सामान्य), लातेहार